सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू / **Integrated Regional Office, Jammu**
Camp Office : Integrated Regional Office, Chandigarh

File No: 9-JKC003/2021-CHA Dated: 04/03/2021

To

Commissioner Secretary,
Department of Forest, Ecology & Environment,
U.T. of Jammu & Kashmir,
Civil Secretariat
Jammu & Kashmir
(csforestjk@gmail.com)

Sub: Diversion of 3.27 ha of forest land in favour of Executive Engineer, PMGSY Division, Resai for construction of road from Ransoo (Chinar) to Bamila Sangar, under Forest Division and District Nowshera, U.T. of Jammu & Kashmir. (Online proposal no. FP/JK/Road/47959/2020)-regarding.

Ref: (i) Proposal received dated 24.02.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **3.27** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये|

ii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iii. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएग

iv. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

v. User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted in the past, is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval. An Undertaking to this effect that **"no such proposal for compliance of conditions of Stage-I approval is pending with this division"** be submitted. Compliance of the same will be mandatory for the final clearance of this proposal by this office.

vi. FRA certificate from competent authority to be submitted.

vii. Detailed muck disposal plan to be submitted.

viii. The State Government shall not issue temporary working permission until the entire compensatory levies are deposited by User Agency and confirmed online on Ministry's web portal.

ix. Divisional Forest Officer shall furnish undertaking that the approved CA site(s) will not be changed without the approval of competent authority.

x. The CEO, State CAMPA Authority shall furnish undertaking that the funds under State CAMPA will be released to Divisional Forest Officer as per approved CA scheme

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़/पौधें जायेंगे | प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या **128** और पोलो की संख्या **27** से अधिक नहीं होगी |
iii. The Divisional Forest Officer shall ENSURE that the approved CA site(s) will not be changed without the approval of competent authority.
iv. The CEO, State CAMPA Authority shall ENSURE that the funds under State CAMPA will be released to Divisional Forest Officer as per approved CA scheme.
v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा
vi. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|
vii. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
viii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
ix. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
x. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |
xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी |
xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |
xiii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |
xiv. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी |
xv. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
xvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |
xvii. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी |
xviii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

I/3829/2021

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| ***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाये।***

भवदीय,

हस्ता/-
(के जेड भुटिया(
क्षेत्रीय आधिकारी
IRO, MoEF&CC, Jammu

Copy to:-

1. The ADGF (FC), Ministry of Environment, Forests, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, Aliganj, New Delhi (adgfc-mef@gov.in).
2. The Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF), U.T. of Jammu & Kashmir, Forest Complex, Sheikh Bagh, Near Lal Chowk, Srinagar, J&K (pccfjkforest@gmail.com).
3. The Nodal Officer (FCA), U.T. of Jammu & Kashmir, Forest Complex, Sheikh Bagh, Near Lal Chowk, Srinagar, J&K (sarveshraiifs@gmail.com).
4. CEO, CAMPA O/o PCCF (HoFF), U.T. of Jammu & Kashmir, Forest Complex, Sheikh Bagh, Near Lal Chowk, Srinagar, J&K (jkcampacell@gmail.com).
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Nowshera, J&K.
6. Executive Engineer, PMGSY DIVISION REASI, GEETA NAGAR NEXT TO PETROL PUMP REASI (xenpmgsyreasi@gmail.com)